फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

शशिकान्त बागरेचा बनाम शाहजहां व अन्य
इजराय संख्या 06 / 2022
सीआईएस संख्या 11 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2024	श्री संदीप माथुर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / डिक्रीदार की ओर से उपस्थित। श्री हर्ष माथुर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी / बीमा कंपनी की ओर से उप. स्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थी / डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21 सपठित आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी दिनांकित 20.09.2023 का निस्तारण किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर बहस पूर्व तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। इस प्रार्थना की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / डिक्रीदार ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि वसूली की दिनांक तक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए थे। प्रार्थी के अधिवक्ता ने स्वयं की गलती के कारण भूलवश इजराय प्रस्तुती के समय ब्याज की गणना दिनांक 20.10.2022 तक ही करने हेतु अंकित कर दिया, जबकि इजराय प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 7 में दिनांक 21.10.2022 से ताअदायगी तक लिखा जाना आवश्यक था। चूंकि यह गलती सद्भाविक भूल है एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना के लिए आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इजराय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में ब्याज की गणना, दिनांक 21.10.2022 से ताअदायगी तक किए जाने के संशोधन किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / डिक्रीदार ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए– 1- Devi Dayal Kasal and ors Vs Raj Roop and another 2002 ACJ 338 decided 1-10-1999 2- Abdul Rehman and Another Vs Mohd. Ruldu and ors. (2012) 11 supreme Court Cases 341 3- Varun Pahwa vs Renu Chaudhary (2019) 15 Supreme Court Cases 628 इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी / बीमा कंपनी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी / डिक्रीदार ने जानबुझकर दिनांक 20.10.2022 तक के ब्याज की वसूली हेतु इजराय प्रस्तुत की है। आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी के प्रावधान इजराय की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होते हैं। बीमा कंपनी द्वारा इजराय की संपूर्ण राशि जमा करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रार्थी / डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अधिकरण द्वारा क्लेम याचिका	

में प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि एवं इस पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि 23.12.1994 से अदायगी की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने के आदेश दिए थे। इसके पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या 234/2000 में पारित निर्णय दिनांकित 30.05.2012 के द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाकर 2,50,000/– रूपये व इस पर क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से 6 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने के आदेश दिए थे। इसके पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय ने विविध प्रार्थना पत्र संख्या 330/2021 सिविल अपील संख्या 12009/2018 श्री शशीकांत बागरेचा बनाम शाहजहां व अन्य में पारित आदेश द्वारा भी क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाकर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए थे। इस तरह अप्रार्थी बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज अदायगी की तारीख तक प्रार्थी को अदा करनी थी। चूंकि हस्तगत इजराय में प्रार्थी ने सहवन से ब्याज की राशि की गणना दिनांक 23.12.1994 से दिनांक 20.10.2022 तक ही अंकित की है, जबकि विधिनुसार अप्रार्थी कंपनी को ब्याज की राशि ताअदायगी तक अदा की जानी है। इस संबंध में जो न्यायिक दृष्टांत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए है, उनमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत वरूण पहवा बनाम रेणु चौधरी, सिविल अपील संख्या 2431/2019 में यह अभिनिर्धारित किया है कि

Civil Procedure Code, 1908- Or. 6 R. 17- Amendment of plaint to rectify inadvertent procedural mistake by advocate in describing parties in cause title of suit/memo of parties, permissible- Rules of procedure cannot defeat substantive rights of parties.

इस तरह अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वांछित संशोधन न्यायसंगत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इस इजराय में वांछित संशोधन किए जाने की अनुमति दी जाती है। आदेश सुनाया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ संशोधित इजराय प्रस्तुत कर दी है, अतः इस इजराय को रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस इजराय हेतु दिनांक..... को पेश हो।

(संदीप आनन्द)